कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 255/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.07.2026

प्रेस नोट, दिनांक- 03.07.2026

सक्सेज स्टोरी, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस की ऐतिहासिक उपलब्धि

महिलाओं एवं बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

पीड़ित महिलाओं को ₹ 7,43,300/- (सात लाख, तैतालिस हजार, तीन सौ रूपयें) की भरण–पोषण धनराशि दिलाई गई

अब तक कुल 553 मामलों में ₹ 81,81,000/- (इक्यासी लाख, इक्यासी हजार रूपयें) की धनराशि पीड़िताओं के खातों में पहुंचाई गई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में लंबित भरण–पोषण से संबंधित मामलों को चिन्हित कर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए व्यापक एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन को सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा संचालित **मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान** के अंतर्गत **जनपद आजमगढ़ पुलिस** द्वारा **महिला अधिकारों की रक्षा एवं न्याय दिलाने की दिशा में** एक अत्यंत सराहनीय एवं प्रभावशाली पहल की गई है।

प्रमुख उपलब्धियाँ / बिंदु

1. लंबित मामलों की गहन समीक्षा

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के शुभारंभ के उपरांत जनपद के सभी थानों में महिलाओं से संबंधित भरण–पोषण के लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। थानों के पैरोकारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक वाद को माननीय न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जिससे पीड़िताओं को शीघ्र न्याय मिल सके।

2. माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस पैरोकारों एवं थाना स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रकरण का सूक्ष्म अध्ययन कर माननीय न्यायालय में निरंतर उपस्थिति के माध्यम से सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई। वर्षों से भरण–पोषण की धनराशि से वंचित महिलाओं एवं उनके बच्चों को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता रहा।

3. रिकॉर्ड समय में धनराशि दिलाई गई

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत दिनांक- 01.06.2026 से 30.06.2026 तक प्रभावी पैरवी के माध्यम से कुल 92 मामलों में पीड़ित महिलाओं को **₹ 7,43,300/- (सात लाख, तैतालिस हजार, तीन सौ रूपयें)** की भरण–पोषण धनराशि दिलाई गई।

➡ इस प्रकार दिनांक 22.09.2025 से 30.06.2026 तक **कुल 553 भरण–पोषण के मामलों** में प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप **₹ 81,81,000/- (इक्यासी लाख, इक्यासी हजार रूपयें)** की धनराशि पीड़ित महिलाओं के बैंक खातों में प्रेषित कराई जा चुकी है।

4.सामाजिक प्रभाव

भरण–पोषण की धनराशि प्राप्त होने से आर्थिक संकट से जूझ रही महिलाओं एवं उनके बच्चों को बड़ी राहत मिली है। कई परिवारों के जीवनयापन में स्थायित्व आया है। इस पहल से महिलाओं का न्याय प्रणाली एवं पुलिस प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है, तथा पीड़िताओं के चेहरों पर पुनः मुस्कान लौट आई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने कहा—

"मिशन शक्ति 5.0 अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रदान करना है। भरण–पोषण से जुड़ी पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाना जनपद पुलिस की प्राथमिकता है। महिला हितों से जुड़े प्रत्येक प्रकरण में संवेदनशीलता, तत्परता एवं प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।"

जनपद पुलिस की प्रतिबद्धता

जनपद आजमगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अन्य लंबित प्रकरणों को भी चिन्हित कर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, ताकि प्रत्येक पीड़िता को समयबद्ध न्याय मिल सके।

भरण–पोषण प्राप्त पीड़ित महिलाओं द्वारा माननीय न्यायालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं शासन-प्रशासन के प्रति भूरी-भूरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 03.07.2026
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

☐ **अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

☐ **थाना कोतवाली पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, 01 देशी तमंचा, 01 जिंदा कारतूस व नगदी बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 03.07.2026 को उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति मय हमराह पुलिस टीम द्वारा ककरहटा सर्विस लेन की तरफ से बंशी बाजार उकड़ौरा के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस तथा ₹60 नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को समय 22:05 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

चंद्रप्रकाश मिश्रा पुत्र स्व. रविंद्र मिश्रा निवासी- कुर्मी टोला, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ उम्र- 48 वर्ष

बरामदगी

01 अदद देशी तमंचा (.315 बोर)
01 अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर)
₹60 नगद

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 350/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
का0 सुमित कुमार थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
का0 भूपेंद्र मिश्रा थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
का0 अमित कुमार यादव थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
का0 अम्बरदीप थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 03.07.2026
थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

चोरी की 02 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ संगठित वाहन चोर गिरोह के 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मुबारकपुर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, चोरी की दो स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें व अवैध असलहा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 02.07.2026 को उ0नि0 कुलदीप कुमार (चौकी प्रभारी लोहरा) मय हमराही पुलिस बल क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दामोदरपुर अंडरपास से लगभग 400 मीटर आगे दामोदरपुर गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर समय लगभग रात्रि 10:05 बजे दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी एवं जांच के दौरान उनके कब्जे से चोरी की 02 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 01 अवैध देशी तमंचा (.315 बोर) तथा 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे चोरी की मोटरसाइकिलों को विभिन्न स्थानों से चोरी कर छिपाकर रखते थे तथा अवसर मिलने पर उन्हें बेच देते थे। बरामद स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल को लगभग 4-5 वर्ष पूर्व कर्मरी गडेरूआ (थाना जीयनपुर) क्षेत्र से तथा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को सिधारी हाईडिल क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया। अभियुक्त सुभाष यादव ने बरामद अवैध तमंचा अपनी सुरक्षा हेतु रखना बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुभाष यादव पुत्र विजय शंकर यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम कोडहरा लाटघाट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

2.मनोज सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम महुआ मुरारपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्रो (फर्जी नंबर प्लेट UP50BL0142, वास्तविक नंबर UP50AL8365)
01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस (वास्तविक नंबर UP50BZ0244)
01 अदद अवैध देशी तमंचा (.315 बोर)
01 अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर)

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-242/2026, धारा 317(2), 317(4), 317(5), 112(2), 318(4), 336(3) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
मु0अ0सं0-243/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ (अभियुक्त सुभाष यादव के विरुद्ध)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 कुलदीप कुमार (चौकी प्रभारी लोहरा)
का0 सतेंद्र यादव
का0 राहुल राय
का0 अमित कुमार चौधरी
का0 कृष्ण कुमार मिश्रा
का0 सूरज यादव
का0 अभय राज पटवा

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 03.07.2026
थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

□नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ एवं पाक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□थाना जहानागंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गिरफ्तार

➡□ घटना का विवरण/ इतिहास

दिनांक 01.07.2026 को वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-141/2026 धारा 74, 333 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

➡□ गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत घटना उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की तलाश के क्रम में दिनांक 03.07.2026 को उ0नि0 शिवम त्यागी मय हमराह पुलिस टीम द्वारा करहा मार्ग स्थित पुनर्जी पुलिया के पास घेराबंदी कर अभियुक्त शैलेष गुप्ता को समय लगभग 05:10 बजे गिरफ्तार कर लिया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡□ गिरफ्तार अभियुक्त

शैलेष गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता निवासी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 32 वर्ष

➡□ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-141/2026 धारा 74, 333, 65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

➡️ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 शिवम त्यागी
रि0का0 अर्पित दूबे
का0 श्रीप्रकाश सिंह

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 03.07.2026
थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना निजामाबाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पाक्सो एक्ट एवं बीएनएस की गंभीर धाराओं में वांछित अभियुक्त भेजा गया जेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

➡️ घटना का विवरण/ इतिहास

दिनांक 15.05.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0-121/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी, उसके बयान, साक्ष्य संकलन एवं मेडिकल परीक्षण के आधार पर अभियोग में धारा 87, 64 बीएनएस तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

➡️ गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम उपरोक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान दिनांक 03.07.2026 को उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा शेरपुर तिराहा से अभियुक्त विकास यादव पुत्र स्व. सुरेश यादव, निवासी सिरकोहिया, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उम्र लगभग 20 वर्ष को समय 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡️ गिरफ्तार अभियुक्त

विकास यादव पुत्र स्व. सुरेश यादव निवासी- सिरकोहिया, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर उम्र- 20 वर्ष

➡️ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-121/2026
धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

➡️ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय
का0 कृष्ण चन्द
रि0म0आ0 मेनका जायसवाल

प्रेस नोट, दिनांक 03.07.2026
थाना – कोतवाली जनपद आजमगढ़

बैंक में छूटे ₹ 31,500 को कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सकुशल कराया वापस

घटना का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आमजन की सहायता एवं जनविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनपद पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 28.06.2026 को आवेदक आदित्य पुत्र अरविन्द, निवासी महाराजगंज, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी ब्रांच, आजमगढ़ में धनराशि जमा करने गया था। इस दौरान वह भूलवश ₹31,500/- की नोटों की एक गड्डी बैंक परिसर में ही छोड़कर चला गया।

घटना की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा चौकी एलवल, थाना कोतवाली पर मौखिक सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही **चौकी प्रभारी एलवल उ0नि0 प्रियंका तिवारी** एवं उनकी टीम द्वारा तत्काल बैंक पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों का गहन निरीक्षण किया गया तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति का पता लगाकर **आवेदक की ₹31,500/- की पूरी धनराशि सकुशल वापस दिलाई गई।**

अपनी खोई हुई धनराशि वापस मिलने पर आवेदक एवं उसके परिजनों ने आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता एवं ईमानदार कार्यशैली की सराहना करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रियंका तिवारी, रि0 का0 नित्यानन्द यादव, रि0 का0 सिद्वार्थ सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक: 03.07.2026
थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

☐ ऑपरेशन वज्रपात : सोशल मीडिया पर गैंगस्टर स्टाइल रील बनाकर दहशत फैलाने का प्रयास करने वाले 02 आरोपियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

☐ प्लास्टिक के तमंचे के साथ वीडियो बनाकर फेसबुक-इंस्टाग्राम पर कर रहे थे रौब का प्रदर्शन, पुलिस ने की कार्रवाई व अभिभावकों की मौजूदगी में की काउंसलिंग

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के कुशल नेतृत्व में जनपद में संचालित **"ऑपरेशन वज्रपात"** के तहत सोशल मीडिया पर बढ़ती गैंग संस्कृति एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान थाना कन्धरापुर पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ युवक फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर गैंग बनाकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए हथियारनुमा वस्तु के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे आमजन में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होने की संभावना थी।

जांच के दौरान यह पाया गया कि—

1. बदरे आलम पुत्र नुरूलहुदा, निवासी बिसौली, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।
2. उबैद अहमद पुत्र नूर अहमद, निवासी बिसौली, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष।

द्वारा प्लास्टिक के तमंचे के साथ वीडियो बनाकर फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट कर स्वयं का रौब एवं गैंगस्टर जैसी छवि प्रदर्शित की जा रही थी।

थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा दोनों युवकों को चिन्हित कर धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाना परिसर में उनके अभिभावकों की उपस्थिति में विस्तृत काउंसलिंग कर कानून एवं शांति व्यवस्था, यातायात नियमों तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई।

पुलिस द्वारा अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने, सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने एवं सकारात्मक गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रेरित करें।

आजमगढ़ पुलिस की अपील-

सोशल मीडिया पर हथियार, गैंग संस्कृति अथवा आपराधिक छवि प्रदर्शित करने वाले वीडियो/रील बनाना एवं प्रसारित करना कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य, आरक्षी अजीत यादव, आरक्षी अभिषेक यादव, महिला आरक्षी रानी चौरसिया, आरक्षी प्रमोद यादव थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 03.07.2026
थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

☐ साइबर ठगों पर पुलिस का प्रभावी प्रहार : प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के नाम पर ठगे गए ₹35,000 पीड़ित के खाते में कराए गए वापस

थाना बरदह साइबर हेल्प डेस्क की तत्पर कार्रवाई से पीड़ित को मिली राहत

आजमगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार हुए व्यक्ति के ₹35,000 उसके बैंक खाते में वापस कराकर सराहनीय कार्य किया है।

घटना का विवरण-

दिनांक 11.04.2026 को शुभम रावत पुत्र बालकिशुन रावत, निवासी ग्राम सरांवा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के मोबाइल नंबर **XXXXXX1544** पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल कर स्वयं को सरकारी योजना से संबंधित बताते हुए **प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना** के अंतर्गत धनराशि दिलाने का झांसा दिया गया। झांसे में लेकर साइबर ठग द्वारा पीड़ित से कुल ₹44,000 की ऑनलाइन ठगी कर ली गई।

घटना के उपरांत पीड़ित द्वारा तत्काल एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होते ही थाना बरदह की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी गई धनराशि में से **₹35,000** संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया।

इसके उपरांत विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर **माननीय न्यायालय से प्राप्त फंड रिलीज ऑर्डर** के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके फलस्वरूप **₹35,000 की धनराशि सफलतापूर्वक पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराई गई।**

पीड़ित एवं उसके परिजनों द्वारा धनराशि वापस मिलने पर आजमगढ़ पुलिस एवं थाना बरदह साइबर हेल्प डेस्क का आभार व्यक्त किया गया।

आमजन से अपील-

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक, ओटीपी अथवा सरकारी योजना के नाम पर धनराशि प्राप्त कराने के प्रलोभन में न आएं। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल **1930 साइबर हेल्पलाइन** अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते धनराशि होल्ड कराकर वापस कराई जा सके।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मनीष कुमार सिंह, म0आ0 आरती सिंह, रि0आ0 निखिल गुप्ता, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 03.07.2026
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□ जानलेवा हमले के मामले में गम्भीरपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा व ईंट बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थाना गम्भीरपुर पुलिस को जानलेवा हमले के मामले में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा घटना में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त **एक अदद बांस का डंडा एवं एक अदद ईंट** बरामद की गई है।

घटना का विवरण-

दिनांक 02.07.2026 को वादिनी अनीता पत्नी लाल बिहारी, निवासी ग्राम रानीपुर रजमो, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 01.07.2026 की रात्रि लगभग 12:00 बजे अभियुक्त मुकेश पुत्र सहतू एवं अभिषेक पुत्र रामासरे ने उनके पुत्र जयद्रथ को खाने के बहाने अपने साथ गांव के सिवान स्थित ट्यूबवेल के पास ले जाकर जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से हमला किया, गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। हमले में जयद्रथ के सिर पर गंभीर चोटें आईं।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 164/2026 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.07.2026 को थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों—

1. मुकेश पुत्र सहतू, निवासी ग्राम रानीपुर रजमो पहिलेपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 33 वर्ष।
2. अभिषेक पुत्र रामासरे, निवासी ग्राम रानीपुर रजमो पहिलेपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।

को पहिलेपुर–रानीपुर रजमो मार्ग के पास से समय 14:37 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **एक अदद बांस का डंडा एवं एक अदद ईंट बरामद** की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 164/2026, धारा 115(2), 109(1), 352, 351(3) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- एक अदद बांस का डंडा, एक अदद ईंट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विपिन द्विवेदी, हे0का0 नागेन्द्र नाथ सिंह, रि0का0 आकाश कुमार, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट, दिनांक- 03.07.2026
जनपद आजमगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने थाना अहरौला का औचक निरीक्षण कर पुलिस सहायता केन्द्र का उद्घाटन एवं नई पुलिस चौकी का भूमिपूजन किया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन** द्वारा थाना अहरौला का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान ग्राम **भुजवल (बसही)** में स्थापित **पुलिस सहायता केन्द्र/पुलिस बूथ** का विधिवत उद्घाटन किया गया। साथ ही **गहजी** में प्रस्तावित **नई पुलिस चौकी** का भूमिपूजन भी संपन्न कराया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में प्रभावी पुलिसिंग, जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कार्यक्रम में थाना अहरौला के प्रभारी निरीक्षक सहित थाने के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।